हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

वीरवार, 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1947(शक्)

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:-**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का 15वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(2) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017 (2018 का अधिनियम संख्यांक10) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एस.जे.ई.-ए-एफ(10)-2/2019, दिनांक द्वारा 17.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 27.03.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक निर्माण मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवम् अन्य संरचना विकास निगम का 24वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) ; और

(ii) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा-32 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एरियल रोपवेज (संशोधन) रूल्ज, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: पीडब्लयू0डी0 (सी) ए-(3)1/2024, दिनांक द्वारा 12.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.03.2026 को प्रकाशित।

3. विधायी कार्य:

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 8)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगें कि विधेयक को पारित किया जाए।

(2) **श्री अनिरूद्ध सिंह, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 7)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगें कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) **श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक निर्माण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 5)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगें कि विधेयक को पारित किया जाए।

4. **नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:**

श्री बिक्रम सिंह (11-जसवां-प्रागपुर), माननीय सदस्य, नाभा आवासीय कॉलोनी (शिमला) में उत्पन्न हो रही सीवरेज व्यवस्था की गंभीर समस्या बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

5. **नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:**

(1) **श्री सुख राम चौधरी, माननीय सदस्य,** "दिनांक 18 मार्च, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3901 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

(2) **श्री चंद्र शेखर, माननीय सदस्य,** "दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4250 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 1 अप्रैल, 2026 सचिव।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)